

29/8
2019

पञ्जावली पेश हुई। वहील वारीगण उप
उपतहसील पाटन से विभाजन प्रस्ताव
प्राप्त है चुका है जो शामिल मिल
है। वहील वारीगण को सुना गया।
वहील वारीगण ने बताया कि माननीय
न्यायालय द्वारा जारी प्राप्यिड डिडी की
अनुपालना में पक्षकारान के मध्य विद्वत्
विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्राप्त है
चुका है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार
FD जारी की जावे। वहील वारीगण
को सुना गया एवं पञ्जावली का अवलोकन
किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव
दावा वारीगण अन्तिम रूप से डिडी
किया जाना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार
पर दावा वारीगण मुताबिक विभाजन
प्रस्ताव अन्तिम रूप से डिडी किया
जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा
डिडी का भाग समझा जावे। वहांनुसार
राजस्व रिफार्ड में अमल दरामद हेतु
पकी डिडी मुवी है। पञ्जावली फंसल
शुगर होस्ट का उतनीय जास्ता नक्शा
से कान होकर दारिल्ल होलर है।
मिर्णय सेरे इजलास सुनाया गया।

(अब्दु शमी)
सहायक कलेक्टर
फास्ट ट्रैक न्यायालय